

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3447
12 मार्च 2026, को उत्तर दिए जाने के लिए

अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स योजना के अंतर्गत लक्षित आयवर्ग

3447.श्री अनुराग शर्मा:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा पीएमएवाई-यू 2.0 के अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स (एआरएचसी) शीर्ष के अंतर्गत चिह्नित किए गए और लक्षित किए गए आयवर्गों का ब्यौरा क्या है; और
- (ख) क्या सरकार ने एआरएचसी के निर्माण के लिए निजी / सरकारी अभिकरणों की संख्या और उनके पंजीकरण की अपेक्षित समय-सीमा के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) ने प्रवासी श्रमिकों, शहरी गरीबों और अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूरों के सामने आने वाली आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जुलाई 2020 में प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) की एक उप-योजना के रूप में किफायती किराया आवास परिसरों (एआरएचसी) को शुरू किया। यह योजना दो मॉडलों के माध्यम से कार्यान्वित की गई है।

इसके अलावा, एआरएचसी की सीख के आधार पर, पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत किफायती किराया आवास (एआरएच) के एक समर्पित घटक का प्रावधान किया गया है, जिसका उद्देश्य देश भर में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/निम्न आय वर्ग (एलआईजी) श्रेणी के शहरी प्रवासियों/औद्योगिक श्रमिकों/कामकाजी महिलाओं/छात्रों/शहरी गरीबों आदि सहित लक्षित

लाभार्थियों के कार्यस्थलों के करीब किफायती किराया आवास के निर्माण को बढ़ावा देना है।
एआरएच घटक को दो मॉडलों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है:

मॉडल-1: सार्वजनिक निजी भागीदारी मोड या सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा मौजूदा सरकारी वित्त पोषित खाली आवासों को एआरएच में परिवर्तित करना।

मॉडल -2: शहरी गरीबों, कामकाजी महिलाओं, उद्योगों, औद्योगिक संपदाओं, संस्थाओं के कर्मचारियों और अन्य पात्र ईडब्ल्यूएस/एलआईजी परिवारों के लिए निजी/सार्वजनिक संस्थाओं द्वारा किराया आवास का निर्माण, संचालन और रखरखाव किया जाना।

पीएमएवाई-यू 2.0 के योजना दिशानिर्देश <https://pmay-urban.gov.in/uploads/guidelines/Operational-Guidelines-of-PMAY-U-2.pdf> पर उपलब्ध हैं।

इस घटक के माध्यम से, सार्वजनिक/निजी संस्थाओं को किफायती किराया आवास स्टॉक बनाने के उद्देश्य से निवेश का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करके सक्षम इको-सिस्टम बनाया गया है। इनमें ग्रीन-चैनल प्रक्रिया के माध्यम से फास्ट-ट्रैक, सिंगल-विंडो अनुमोदन; निःशुल्क हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) के साथ 50 प्रतिशत अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) भूमि परिवर्तन और वैधानिक शुल्कों से छूट; और भागीदारी को और प्रोत्साहित करने और निर्माण लागत को कम करने के लिए आवासीय परियोजनाओं के साथ नगरपालिका सेवा शुल्क की समानता शामिल हैं। इसके अलावा, नई एआरएच यूनिटों के निर्माण के लिए सार्वजनिक और निजी कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार अनुदान (टीआईजी) में 5,000 रुपये प्रति वर्गमीटर कारपेट एरिया की वृद्धि की गई है।
